न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—267/2017/223 आर.टी.एक्ट (2017/00267)

1. शांति पुत्री हजारी
2. हीरी बाई पुत्री हजारी
3. नोसर पुत्री हजारी
4. उगमा पुत्र हजारी
5. रमेश पुत्री हजारी
6. पांचू पुत्र हजारी
7. लादू पुत्र हजारी
8. भंवर पुत्र हजारी

समस्त जाति खारोल, निवासीगण ग्राम किराप, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. कमला धर्मपत्नी सुगना
2. मिनाक्षी पुत्री सुगना
3. ज्योति पुत्री सुगना
4. शिवशक्ति पुत्री सुगना
5. गिरीश पुत्री सुगना

2 लगायत 5 नाबालिग जरिए प्राकृतिक वली माता श्रीमती कमला

6. हरचंद पुत्र बिंजा
7. शिवराज पुत्र स्व0 मोहन
8. फुली धर्मपत्नी मोहन
9. सांवरा पुत्र मोहन (फौत) नाम हफज

समस्त जाति भांबी, निवासीगण ग्राम किराप, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार मसूदा, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा, विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.10.2017 राजस्व वाद संख्या 75/2008

उपस्थितः—

1. श्री मोहम्मद इकबाल, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 10
3. रेस्पोडेंट 1, 6 से 8 अनुपस्थित

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः— 28.10.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 75/2008 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.10.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा एक नियमित राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम किराप स्थित आराजी खसरा नम्बर 1362 रकबा 02—07—00 में से 17 बरचा छोडकर शेष रकबा 01—01—10, खसरा नम्बर 1359 रकबा 00—16—00, 1357 रकबा 01—07—10, 1345 रकबा 02—04—00, 1367 रकबा 01—15—00 कुल किता 5 कुल रकबा 06—02—10 स्थित है जो कि अपीलांट की क्रयशुदा कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसको वादीगण के पिता स्व0 श्री हजारी पुत्र देवा के द्वारा दिनांक 11.03.1991 को खरीद कर कब्जा एवं दखल प्राप्त कर लिया था। जिसके पश्चात् से उपरोक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त कब्जे काश्त के आधार पर वादीगण के द्वारा उद्घोषणा खातेदारी चाही गई। उपरोक्त वाद प्रस्तुत होने के पश्चात् दर्ज रजिस्टर किया गया तथा नोटिस प्रतिवादीगण को जारी किए गए। प्रतिवादीगण के द्वारा उपरोक्त वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। जिसका विस्तृत जवाब अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त प्रार्थना एवं जवाब पर उभयपक्षकारान की बहस सुने जाने के पश्चात् वादी का वाद निर्णय दिनांक 18.10.2017 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 75/2008 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.10.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना रेस्पोडेंट 1, 6 से 8 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपरोक्त वाद पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2008 को उपरोक्त वाद में न्यायालय की रिपोर्ट तलब की गई थी। जिसके पश्चात् उपरोक्त वाद को श्रवणाधिकार में मानते हुए दर्ज रजिस्टर किए जाने के आदेश पारित किए गए थे। रेस्पोडेंट के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की पैरा संख्या 2 में उपरोक्त वाद विक्रय पत्र के बाबत सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होना दर्शाते हुए कथन किए गए जबकि अपीलांट के द्वारा उपरोक्त वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी प्रस्तुत किया गया था ना कि विक्रय पत्र को पंजीयन करवाने बाबत। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.10.2017 में यह कथन अंकित किए गए है कि अपंजीकृत बैचान नामें के आधार पर न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार नहीं होना मानते हुए वादी का वाद खारिज कर निर्णय पारित कर दिया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में प्रतिवादीगण के द्वारा पैरा संख्या 3 में यह कथन अंकित किए गए है कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजीयात है और वादी जो कि स्वर्ण जाति के व्यक्ति है। जिन्हें उपरोक्त वाद लाने का अधिकार नहीं है। जिसके जवाब में वादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से अपना मत प्रस्तुत किया गया था और न्यायालय को बरवक्त बहस यह भी बताया था कि यदि कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति अपनी खातेदारी की आराजीयात को स्वर्ण जाति के व्यक्ति को बैच देता है तो प्रथम दृष्टया आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधान उपरोक्त वाद पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि जैसा कि गंगा बनाम गिरधारी व अन्य में पारित निर्णय जो कि

Scanned with CamScanner

2012 पार्ट 2 आर0आर0टी0 1186 पर चस्पा है, में अभी निर्धारित किया गया है कि यदि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के द्वारा ऐसा कोई प्रकरण या वाद खारिज किए जाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो बिना एविडेन्स के बिना प्रथम दृष्टया प्रकरण को देखे और बिना फेक्ट को निर्णित किए उसका निर्णय नहीं होगा और प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को खारिज नहीं किया जावेगा परंतु परीक्षण न्यायालय के द्वारा मात्र अपने निर्णय में यह अंकित किया गया है कि उपरोक्त वाद लाने का अधिकार अपीलांट को नहीं है। जिसके आधार पर वाद निरस्त कर दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के तहत यह प्रावधान वर्णित किए गए है कि यदि किसी खातेदार काश्तकार के द्वारा अपने खातेदारी, काश्तकारी की आराजीयात का विक्रय, दान या वसीयत कर दिया जाता है तो वह शून्य होगी और साथ ही यह प्रावधान भी लागू किए गए यदि ऐसा तथ्य न्यायालय के समक्ष आता है कि किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के द्वारा अपने खातेदारी की आराजीयात का बैचान किया गया है तो धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू होंगे। जैसा कि शंकरलाल बनाम सरकार में वर्णित किया गया है जो कि 2009 पार्ट 2 आर0आर0टी0 पृष्ठ 1043 पर चस्पा है, में विधित किया गया है कि यदि धारा 42 का उल्लंघन पाया जाता है तो उस पर धारा 175 की कार्यवाही की जावेगी और यह समस्त तथ्य बाद साक्ष्य ही न्यायालय के समक्ष आ सकते थे परंतु परीक्षण न्यायालय की अंतिम पंक्ति में यह कथन अंकित है कि प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत विवेचन व दस्तावेजों से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। यहां परीक्षण न्यायालय को यह आदेश प्रदान करना चाहिए था कि तहसीलदार द्वारा उपरोक्त तथ्यों की जांच कर धारा 175 के अंतर्गत कार्यवाही करे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह वर्णन किया गया है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी के प्रस्तुत होने के पश्चात उसमें यदि कोई विधिक तथ्य सामने आता है तो उस पर तनकी कायम की जाकर एवं साक्ष्य ली जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 75/2008 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.10.2017 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. हमनें अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 अनुसूचित जातिं के व्यक्ति है व वर्णित कृषि भूमि 1 लगायत 8 की कब्जे काश्त/खातेदारी की आराजीयात है। प्रतिवादीगण ने उपरोक्त आराजीयात को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को बेचान नहीं किया है। वादीगण के कथनानुसार दिनांक 11.03.1991 को प्रतिवादीगण से उक्त भूमि को खरीद कर कब्जा एवं दखल प्राप्त कर लिया गया था जिसके साक्ष्य में उनके द्वारा ऐसा कोई पंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, चूंकि अनुसूचित जाति की जमीन सामान्य वर्ग को नहीं बेचान की जा सकती है। वादीगण जो कि सामान्य वर्ग में आते है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को स्वर्ण जाति के व्यक्ति को बेचान, इकरार करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2017 को किए गए निर्णय में भी उक्त बिंदुओं पर अपना मत स्पष्ट करते हुए यह निर्णय पारित किया गया है जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाता है।

6. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 75/2008 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.10.2017 को यथावत रखा जाता है व दिनांक 11.03.1991 में किए गए अपंजीकृत विक्रय पत्र/इकरारनामा के संबंध में हक अधिकार हेतु अपीलांट को

Scanned with CamScanner

सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्रता दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

28/10/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner